an>

Title: Regarding settlement of payment due to the sugarcane growing farmers by the sugar mills owners.

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): अध्यक्ष महोदया, अभी माननीय सदस्य ने बागपत की बात कही है। मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि आज देश में 21,000 करोड़ रुपया गन्ना किसानों का पिछली पेराई का बाकी है। केवल उत्तर प्रदेश में 8,000 करोड़ रुपए बकाया हैं। गन्ना एक कैश क्रप है, नकदी फसल है। किसी भी किसान के परिवार में बेटी की शादी गन्ने की पर्चियों के भुगतान से हो पाती है। उसके बूढ़े माता-पिता का अस्पताल में इलाज और बेटे के स्कूल या कालेज की फीस भी गन्ने की पर्चियों के भुगतान से हो पाती है। मैं यह कहना चाहता हूं कि हाई कोर्ट ने भी आदेश दिया था कि 15 जुलाई, 2015 तक गन्ना किसानों को चीनी मिल मालिकों द्वारा भुगतान कर दिया जाए। लेकिन उसका आज तक पालन नहीं हुआ। मैं चाहता हूं कि केन्द्र सरकार राज्य सरकार को इस मामले में निर्देशित करे। अगर हाई कोर्ट के आदेश का पालन नहीं होगा, तो फिर क्या होगा। इस साल तो अभी गन्ने के मूल्य का भुगतान नहीं हुआ है। जैसा बिहार के बारे में बोलते हुए भोला सिंह जी ने कहा, सत्यपाल सिंह जी ने कहा कि अगले साल किसानों के समक्ष गम्भीर संकट पैदा हो जाएगा कि उनके खेत में जो गन्ना है, वह अगले साल पेराई के काम में नहीं आ पाएगा। उसकी वजह यह है कि इंडियन शूगर मिल्स एसोसिएशन द्वारा कहा जा रहा है कि हम चीनी मिलों को नहीं चलाएंगे। मैं समझता हू कि इससे ज्यादा भयावह और गम्भीर संकट दूसरा नहीं होगा इसलिए सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ेगा। जो उत्तर प्रदेश कभी मानचेस्टर कहलाता था, पूर्वी उत्तर प्रदेश में बजाज की चीनी मिलें बंद हो रही हैं, उससे स्थिति काफी विकट हो रही है। आप एक दिन समय दे दीजिए, जिससे इस विÂाय पर चर्चा हो सके।

माननीय अध्यक्ष: आप नोटिस दे दीजिए, मैं कर लूंगी।

श्री जगदम्बिका पाल : ठीक है।

माननीय अध्यक्ष : श्री सुधीर गुप्ता को श्री जगदम्बिका पाल द्वारा उठाए गए विÂाय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री प्रहलाद सिंह पटेल, आप अपनी बात कहते हुए किसी पर भी एलीगेशन न लगाएं, क्योंकि आपने जो लिखा है, उससे मुझे ऐसा लगता है।